COURT FEE कोर्ट फी Rs.20 20रु. भारत INDIA TWENTY RUPEES बीस रुपये
COURT FEE कोर्ट फी Rs.10 10रु. भारत INDIA TEN RUPEES दस रुपये
विलोपित

(184)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग-1996-II-16

पुनरीक्षण प्र. क्र. / /2016

श्री ...... द्वारा आज दि 23-6-16 को प्रस्तुत
23-6-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. आशा राम पुत्र श्री सग्राम सिंह
2. गन्धर्व सिंह पुत्र श्री वीर सिंह
3. वुन्देल सिंह पुत्र श्री वीर सिंह
4. नीलम सिंह पुत्र श्री वीर सिंह
5. सीताराम पुत्र श्री निरन सिह
6. खलक सिंह पुत्र श्री निर सिह

सभी निवासीगण ग्राम खजरा तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी म.प्र.

............आवेदकगण

बनाम

1. लखन सिंह पुत्र श्री जहार सिह
2. जण्डेल सिह पुत्र श्री जहार सिह
3. गिरो पुत्र श्री ईश्वर सिंह

4. सभी निवासीगण ग्रम खजंरा तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी म.प्र.

..........अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार तहसील खनियाधाना प्रकरण क्र. 294/अ 121/2015–16 में की जा रही कार्यवाही एवं आदेश दिनांक 16/06/2016 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगणों की ओर से निगरानी निम्नांकित निवेदन हैं:-

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 1996–दो/2016 जिला–शिवपुरी

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर

25.2.19

आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार तहसील खनियांधाना जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 294/अ–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16.06.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:–

धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन–

(ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा।

3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों।

(सदस्य)

पेशी दिनांक 29/4/19

कलेक्टर जिला शिवपुरी